

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 01.05.2026

दबिश के दौरान 06 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना दुधारा पुलिस* द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी अमिलहवा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, कां0 अजीत पासवान।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त 01. रामसेवक पुत्र सन्तोषी निवासी निवासी भेडौरा पिकौडा थाना बेलहरकला 02. इसरावती पत्नी रामसेवक निवासी भेडौरा पिकौडा थाना बेलहरकला 03. अर्जुन लोध पुत्र स्व0 जियावन लोध निवासी गंगौरा टोला ककरहिया थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0 नि0 श्री राधेश्याम, उ0 नि0 श्री राजेश यादव, उ0नि0 श्री मातीवर सिंह यादव, हे0 का0 विजय सिंह, हे0 का0 कामेश्वर सिंह व का0 सन्तोष चौहान, म0 का0 बैष्णवी शुक्ला।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 01. रामकरन यादव पुत्र विन्देश्वरी निवास पचनेऊरी थाना मेंहदावल 02. सुरेन्द्र यादव पुत्र रामकरन निवासी पचनेऊर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, कां0 चन्दन यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 24 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 14 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6683 द्वारा मारपीट /विवाद में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6683 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत बभनी से कालर द्वारा नाली साफ करने को लेकर विवाद / मारपीट में घायल 04 लोगो (1.राजाराम मौर्या पुत्र गनपत मौर्या 2.लंदीप मौर्या पुत्र राजाराम मौर्या 3.रेखा मौर्या पुत्री राजाराम 4. सुगी मौर्या पत्नी राजाराम मौर्या सा0 बभनी थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर) में सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 अजीत कुमार, का0 विपिन मिश्रा, हो0गा0 सच्चिदानन्द मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 276 वाहनों से 3,15,100 ₹0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 276 वाहनों से 3,15,100 ₹0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पत्नी के साथ मारपीट व आग लगा कर घायल करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना बखिरा पुलिस* द्वारा 0अ0सं0 136/2026 धारा 115(2)/352/118(2) /324(4) बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता विजय सेन चौधरी पुत्र पटेश्वरी प्रसाद चौधरी निवासी बन्धवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 01.05.2026 को मुर्गीफार्म सुन्दरपुर बजहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी श्री परसुराम चौधरी पुत्र स्व0 सखारु चौधरी निवासी जयंतीपुर थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 21.04.2026 को थाना बखिरा पर वादी की पुत्री के साथ उसके पति द्वारा मारपीट करने व आग लगा देने जिससे वादी की पुत्री के घायल होने के उपरान्त गोरखपुर में इलाज कराने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, उ0नि0 श्री राजकुमार मिश्रा ।